# <u>डिस्कलेमर</u>

**परामर्श पत्र  संख्या 29/2021-22 के मुख पृष्ठ, हितधारकों की टिप्पणियां, प्राधिकरण के प्रस्तावों का सार और हितधारकों के परामर्श की समय-सीमा संबंधी अध्यायों का हिंदी अनुवाद संलग्न है। इस हिंदी पाठ के अंतर्गत दी गई किसी भी व्याख्या या अर्थ के संदर्भ में कोई भी भ्रांति या संदेह होने पर कृपया अंग्रेजी पाठ को ही प्रामाणिक माना जाए।**

सत्यमेव जयते

# भारतीय विमानपत्तन आर्थिक विनियामक प्राधिकरण

## गोवा अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डे के लिए तृतीय नियंत्रण अवधि (01.04.2021 से 31.03.2026) के लिए वैमानिक टैरिफ के निर्धारण के मामले में

**जारी करने की तारीख : 27 जनवरी, 2022**

**ऐरा भवन**
**प्रशासनिक कॉम्पलेक्स**
**सफदरजंग हवाईअड्डा**
**नई दिल्ली – 110003**

# हितधारकों की टिप्पणियां

प्राधिकरण को ज्ञात है कि वर्ष 2020 के प्रारंभिक महीनों से विमानन क्षेत्र कोविड-19 वैश्विक महामारी के कारण अत्यधिक अस्त-व्यस्त और अनिश्चितता के दौर से गुजर रहा है। प्राधिकरण को इस संक्रामक रोग की दूसरी लहर की वजह से उत्पन्न हाल ही की प्रवृत्तियों और विमानन उद्योग पर इनके प्रभाव के परिणामस्वरूप विश्व भर में अंतरदेशीय और अंतरराष्ट्रीय दोनों हवाई यात्राओं पर रोक लगने की भी जानकारी है। प्राधिकरण तृतीय नियंत्रण अवधि के लिए टैरिफ का अनुमोदन और इन्हें लागू करने में विलंब न होने देने के लिए तत्पर है एवं इस कारण से प्राधिकरण ने यह परामर्श पत्र इस समय जारी किया है, जिसमें हवाईअड्डा प्रचालक द्वारा प्रस्तुत **बहुवर्षीय टैरिफ प्रस्ताव ('एमवाईटीपी')** के संबंध में प्राधिकरण के विश्लेषण और अवलोकनों के आधार पर प्रस्ताव पेश किए गए है।

प्राधिकरण ने **कोविड -19** महामारी के संदर्भ में इस मामले के संबंध में वर्तमान में उपलब्ध संपूर्ण जानकारी, हवाईअड्डा प्रचालकों, आईएटीए, एसीआई और सीएपीए जैसे उद्योग निकायों से प्राप्त मतों पर विचार करने के बाद तथा विभिन्न परिदृश्यों का विश्लेषण करने के बाद कारोबार संबंधी वर्तमान परिदृश्य में संभावित परिवर्तनों और अनिश्चिचताओं की वजह से यातायात और अन्य विनियामक बिल्डिंग ब्लॉकों में आवश्यक संशोधनों की समीक्षा की है। परंतु हितधारकों से प्राप्त महत्वपूर्ण टिप्पणियों पर विचार करने के बाद ही इन समायोजनों को अंतिम रूप दिया जाएगा।

इस परामर्श पत्र के लिए प्राधिकरण ने द्वितीय नियंत्रण अवधि (वित्त वर्ष 2017 से वित्त वर्ष 2021) के सभी पांच टैरिफ वर्षों के लिए लेखा परीक्षित वित्तीय निष्कर्षों (गोवा हवाईअड्डे के लिए लेखा परीक्षित परीक्षण शेष के रूप में) को मान लिया है।

प्राधिकरण परामर्श पत्र में दिए गए प्रस्तावों पर सभी हितधारकों के लिखित साक्ष्य आधारित फीडबैक, टिप्पणयों और सुझावों पर विचार करेगा और हवाईअड्डा सेवाओं के लिए टैरिफ निर्धारित करते हुए उपयुक्त आदेश जारी करेगा।

इसलिए ऐरा अधिनियम की धारा 13(4) के प्रावधानों के अनुसार दिनांक 27 जनवरी, 2022 के परामर्श पत्र संख्या 29/2021-22 पर हितधारकों से लिखित टिप्पणियां अधिमानत: इलैक्ट्रॉनिक रूप में निम्नलिखित पते पर आमंत्रित की जाती है:

निदेशक (नीति एवं सांख्यिकी, टैरिफ)
भारतीय विमानपत्तन आर्थिक विनियामक प्राधिकरण (ऐरा)
ऐरा प्रशासनिक परिसर, सफदरजंग हवाईअड्डा,
नई दिल्ली-110003, भारत
ई-मेल rajan.gupta1@aera.gov.in प्रतिलिपि director-ps@aera.gov.in और secretary@aera.gov.in

| | |
|---|---|
| **हितधारकों की परामर्श बैठक** | **15 फरवरी, 2022** |
| **टिप्पणियां प्रस्तुत करने की अंतिम तारीख** | **28 फरवरी, 2022** |
| **जवाबी टिप्पणियां प्रस्तुत करने की अंतिम तारीख** | **10 मार्च, 2022** |

टिप्पणियां एवं जवाबी टिप्पणियां ऐरा की वेबसाइट www.aera.gov.in पर डाली जाएंगी।

किसी भी स्पष्टीकरण/सूचना के लिए निदेशक (नीति एवं सांख्यिकी, टैरिफ) से दूरभाष संख्या +91-11-24695048 पर संपर्क कर सकते हैं:

## 16 प्राधिकरण के प्रस्तावों का सार

### अध्याय:4 द्वितीय नियंत्रण अवधि के लिए लिए ट्रूअप

4.9.1 प्राधिकरण तालिका 6 में दिए गए विवरण के अनुसार द्वितीय नियंत्रण अवधि के ट्रूअप के लिए पूंजीगत परिवर्धनों को मनाने का प्रस्ताव करता है।

4.9.2 प्राधिकरण तालिका 7 में उल्लेख किए अनुसार द्वितीय नियंत्रण अवधि के ट्रूअप के लिए वैमानिक मूल्सह्रास को मानने का प्रस्ताव करता है।

4.9.3 प्राधिकरण तालिका 8 के अनुसार द्वितीय नियंत्रण अवधि के ट्रूअप के लिए आरएबी को मानने का प्रस्ताव करता है।

4.9.4 प्राधिकरण तालिका 10 में प्रस्तुत किए अनुसार द्वितीय नियंत्रण अवधि के ट्रूअप के प्रयोजनार्थ गैर-वैमानिक राजस्व को मानने का प्रस्ताव करता है।

4.9.5 प्राधिकरण तालिका 15 में दिए गए विवरण के अनुसार द्वितीय नियंत्रण अवधि के ट्रूअप के प्रयोजन के लिए प्रचालन एवं अनुरक्षण खर्च को मानने का प्रस्ताव करता है।

4.9.6 प्राधिकरण इसके दिनांक 5 मार्च, 2019 के आदेश 42/2018-19 के अनुसार गोवा अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डे द्वारा प्रथम एवं द्वितीय नियंत्रण अवधि के लिए दावा किए गए भूमि संबंधी प्रतिलाभ की अनुमति न देने का प्रस्ताव करता है।

4.9.7 प्राधिकरण गोवा हवाईअड्डे के लिए तालिका 17 में दिए गए विवरण के अनुसार द्वितीय नियंत्रण अवधि के ट्रूअप के लिए एआरआर और कमी को मानने का प्रस्ताव करता है।

### अध्याय : 5 तृतीय नियंत्रण अवधि के लिए यातायात

5.5.1 प्राधिकरण गोवा हवाईअड्डे के लिए तालिका 21 के अनुसार तृतीय नियंत्रण अवधि के लिए एटीएम और यात्री यातायात को मानने का प्रस्ताव करता है।

5.5.2 प्राधिकरण चतुर्थ नियंत्रण अवधि के लिए टैरिफ निर्धारित करते समय तृतीय नियंत्रण अवधि के वास्तविक यातायात के आधार पर यातायात की मात्रा (एटीएम और यात्री) को ट्रूअप करने का प्रस्ताव करता है।

### अध्याय : 6 तृतीय नियंत्रण अवधि के लिए विनियामक परिसंपत्ति आधार और मूल्यह्रास :

6.6.1 प्राधिकरण तालिका 23 में दिए गए विवरण के अनुसार 01 अप्रैल, 2021 को विद्यमान परिसंपत्तियों के सकल ब्लॉक का वैमानिक और गैर-वैमानिक परिसंपत्तियों के बीच आबंटन करने का प्रस्ताव करता है।

6.6.2 प्राधिकरण तृतीय नियंत्रण अवधि के लिए तालिका 27 के अनुसार वैमानिक व्यय के पूंजीकरण को अंगीकार करने का प्रस्ताव करता है।

6.6.3 चतुर्थ नियंत्रण अवधि के लिए टैरिफ का निर्धारण करते समय वास्तविक राशियों के आधार पर पूंजीगत व्यय को ट्रूअप करना।

6.6.4 यदि कोई भी विशिष्ट पूंजीगत परियोजना पूंजीकरण के अनुमोदित तय कार्यक्रम के अनुसार पूर्ण/पूंजीकृत नहीं होती है तो एआरआर से परियोजना लागत की 1% राशि घटाना (समयोजित करना)। इसके अतिरिक्त यदि एएआई या इसकी संविदाकारी एजेंसी के नियंत्रण से बाहर के किसी भी कारण की वजह से किसी परियोजना को पूर्ण करने में विलंब होता है और इसे उचित रूप से औचित्यपूर्ण बताया जाता है तो प्राधिकरण द्वारा चतुर्थ नियंत्रण अवधि के लिए टैरिफ निर्धारित करते समय वास्तविक लागत को ट्रूअप करने के दौरान इसे मान लिया जाएगा।

6.6.5 प्राधिकरण तालिका 29 के अनुसार तृतीय नियंत्रण अवधि के लिए मूल्यह्रास का प्रस्ताव करता है।

6.6.6 प्राधिकरण गोवा हवाईअड्डे के लिए तृतीय नियंत्रण अवधि के लिए तालिका 31 के अनुसार औसत आरएबी मानने का प्रस्ताव करता है।

## *17* हितधारकों के परामर्श की समय-सीमा

17.1 ऐरा अधिनियम, 2008 की धारा 13(4) के प्रावधान के अनुसार परामर्श पत्र के अन्य अध्यायों में दी गई संगत चर्चा के साथ पठित अध्याय 16-प्रस्तावों का सार में निहित प्रस्ताव एतद्द्वारा हितधारकों के परामर्श के लिए प्रस्तुत है।

17.2 संदेह दूर करने के लिए स्पष्ट किया जाता है कि इस परामर्श पत्र की विषय- वस्तु का प्राधिकरण के किसी आदेश या निदेश की तरह अर्थ न लगाया जाए। प्राधिकरण इस मामले के जवाब में हितधारकों की प्रस्तुतियों पर विचार करने के बाद और अधिनियम के प्रावधानों के संदर्भ में पूर्ण रूप से लिखित रूप से प्रमाणित तथा स्पष्ट निर्णय करने के बाद ही इस मामले में आदेश जारी करेगा।

17.3 प्राधिकरण उपर्युक्त अध्याय 16 में दिए गए प्रस्ताव पर हितधारकों के लिखित साक्ष्य-आधारित फीडबैक, टिप्पणियों और सुझावों का स्वागत करता है, जिन्हें अधिक से अधिक **28.02. 2022** तक भेज दिया जाए।

**सचिव**,
**भारतीय विमानपत्तन आर्थिक विनियामक प्राधिकरण**
**ऐरा भवन**, **प्रशासनिक परिसर**, **सफदरजंग हवाईअड्डा**,
**नई दिल्ली –110003.**
**टेलिफोन : 011-24695044 -47**, **फैक्स: 011 -24695048**

ई-मेल : secrtary@aera.gov.in ,
director-ps@aera.gov.in,

टेलिफोन **: 011-24695040 ; फैक्स 011-24695039**

**(अध्यक्ष)**